206

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः– श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3096–दो/2012 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 02–07–2012 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार खरगापुर, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2011–12

....

1– भुवन तनय भग्गू लोधी
2– जैतराम तनय खन्नू लोधी
निवासीगण –खरो, तहसील खरगापुर,
जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमाशंकर तनय छिदामी लोधी
2– नारायणदास तनय छिदामी लोधी
3– वृषभूषण तनय छिदामी लोधी
निवासीगण –खरो, तहसील खरगापुर,
जिला–टीकमगढ़, म0प्र0

.... अनावेदकगण

....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

....

आदेश
(आज दिनांक 17-11-2016 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार खरगापुर, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–07–2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम खरो स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 1805/1 एवं 1805/2 रकबा 1.619, 0.404 हैक्टयर का सीमांकन किये जाने बावत आवेदन–पत्र तहसीलदार खरगापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त सीमांकन पर रोक लगाये जाने बावत् आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। न्यायालय तहसीलदार

खरगापुर, जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण क्रमांक 36/अ–12/2011–12 पर पंजीबद्ध किया जाकर पारित आदेश दिनांक 02.07.2012 द्वारा अनावेदकगण का सीमांकन स्वीकार किया गया। इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि राजस्व निरीक्षक मण्डल खरगापुर द्वारा न तो आवेदक क्र0 1 की आपत्ति का सही निराकरण किया और न मौके पर आवेदकगण की उपस्थिति में सीमांकन किया गया और न ही सीमांकन के सम्बंध में कोई सूचना दी गई और न ही किसी भी सरहदी किसानों को सूचना दी गई और न ही मौके पर सीमांकन किया गया है। केवल हल्का पटवारी द्वारा घर बैठकर पंचनामा बनाया व फर्जी हस्ताक्षर पंचानाम पर बनाये गये है। आवेदकगण के कब्जे की भूमि पर दिनांक 26.06.2012 को पटवारी द्वारा मौके पर बताया गया कि आपके कब्जे वाली भूमि का सीमांकन करवाया है तक आवेदकगण द्वारा इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की थी कि उक्त खसरा नंबर पर मेरा कब्जा है व खसरा नं0 1805/1, 1805/2 का न तो बटवारा हुआ है और न ही तरमीम । मौके पर किसी राजस्व अधिकारी द्वारा नक्शे में तरमीम का उल्लेख न होने के कारण तरमीम नहीं होने के कारण सीमांकन कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा सकती है । उनके द्वारा यह भी तर्क दिया है कि राजस्व निरीक्षक मंडल खरगापुर द्वारा दिनांक 26.06.2012 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का उल्लेख किया है लेकिन दिनांक 26.06.2012 की आदेश पत्रिका में सीमांकन हेतु कोई भी आदेश पुलिस को नहीं दिया गया है लेकिन पंचनामा में आरक्षकों के सम्मुख सीमांकन होना दर्शाया गया है जो कि आदेश पत्रिका दिनंक 26.06.2012 के प्रतिकूल है। दिनांक 02.07.2012 के आदेश पत्रिका में सरहदी कृषकों को सीमांकन की सूचना दिये जाने का कोई भी प्रकरण के साथ नोटिस संलग्न नहीं है और न ही दिनांक 07.06.2012 के आदेश पत्रिका में कृषकों को नोटिस देने का कोई उल्लेख नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही संहिता के अनुकूल नहीं कही जा सकती है। न तो स्थल पदर्श पी0–1 बनाया गया और न ही प्रदर्श पी0–2 गवाही के हस्ताक्षर ही फर्जी बनाये गये है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अंत में आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि आवेदक का आवेदन पत्र वास्ते पक्षकार बनाये जाने बावत् आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के विपरीत है।

.... किसी भी व्यक्ति को उसी प्रकरण में बनाया जा सकता है जो प्रकरण पूर्व से न्यायालया में विचाराधीन हो, जिसमें कोई हितबद्ध पक्षकार स्वयं पक्षकार बनना चाहता हो या वादी, अपीलांट, प्रार्थी या आवेदक पक्षकार बनाने के लिये न्यायालय से अनुरोध करें अथवा न्यायालय स्वयं किसी को पक्षकार बनाने के लिये निर्देशित करें। माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी स्वयं भुवन द्वारा प्रतिप्रार्थी की हक में हुये व्यस्थापन आदेश जो कि, मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के तहत पारित आदेश दिनांक 19.05.1986 के विरूद्ध आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें आवेदक पक्षकार नहीं था, इसलिये पक्षकार बनाये जाने आवेदन का कोई औचित्य नहीं है। आवेदक द्वारा स्वयं पक्षकार बन कर निगरानी प्रस्तुत की है । निगरानीकर्ता को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। प्रस्तुत निगरानी से सम्बन्धित प्रकरण विचारण न्यायालय में निगरानीकर्ता एवं प्रतिनिगरानीकर्ता के मध्य नहीं चला है, अर्थात् निगरानीकर्ता विचारण न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा है । जो व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं रहा हो उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अनुसार जो व्यक्ति प्रकरण में पक्षकार रहा हो वही निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। भू–राजस्व संहिता की धारा 50 इस प्रकार निर्देश करती है कि– ''मण्डल किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा दिये गये आवेदन पर'' संहिता की धारा 50 के निर्देश से स्पष्ट है कि निगरानी केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो पक्षकार रहा हो। निगरानीकर्ता अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था, इसलिये उसे निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। कोई भी अन्य तृतीय व्यक्ति या मध्यक्षेपक निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता । इस संबंध में 1995 रा0नि0 251--वीरा विरूद्ध कबरा आदि एवं 1965 रा0नि0 203–शबदल सिंह बनाम बदन सिंह अवलोकनार्थ है। आवेदक सर्वे क्र0 1805 स्थित ग्राम खरो पर कभी काबिज नहीं रहा और न ही उसके पूर्वज काबिज रहे है ना ही वर्तमान में काबिज है। आवेदक ने उक्त सर्वे नम्बर कब्जे के सम्बन्ध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया और ना ही पुस्तेनी कब्जे के सम्बन्ध में किसी पूर्वज का नाम बताया और न ही कब से आवेदक का उक्त सर्वे नम्बर पर कब्जा है यह बताया है। आवेदक विवादित भूमि में कतई हितबद्ध नहीं है। उसकी लोकस स्टैण्डाई नहीं है। इसलिये उसे निगरानी पक्षकार बनकर निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। आवेदक आदेश दिनांक 19.05.1986 से जुलाई 2012 तक अर्थात 26 वर्ष से अधिक समय तक चुपचाप

बैठा रहा। यदि आवेदक का विवादित भूमि पर कब्जा होता तो वह निश्चित रूप से यथा समय कार्यवाही करता । व्यवस्थापन होने के बाद अनावेदकगण ने उस पर कुआं खुदवाया है तथा फसल लाभ लेते चले आ रहे है। निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी बलदेवगढ़ जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका प्रकरण क्रमांक 10 / 2012–13 / अपील भुवन बनाम रमाशंकर आदि है जो आदेश दिनांक 31.10.2013 को निरस्त की जा चुकी है। निगरानीकर्ता ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष की गई अपील के तथ्य को माननीय न्यायालय से छुपाया है अर्थात् निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अंत में अनावेदकगण के अभिभाषक द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्को का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम खरों स्थित भूमि खसरा नं0 1805 / 1 एवं 1805 / 2 रकबा 1.619, 0.404 हैक्टयर का सीमांकन का आवेदन–पत्र तहसीलदार खरगापुर के समक्ष प्रस्तुत किया । उपरोक्त सीमांकन पर रोक लगाये जाने बावत् आवेदकगण द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति में बिना सीमांकन के आपत्तिकर्ता द्वारा पूर्नामास से अपनी भूमि खसरा नं0 1805 जिस पर वह काबिज है कि बात कही गई है। तहसीलदार के अभिलेख से अध्ययन से विदित होता है कि तहसीलदार खरगापुर द्वारा आपत्ति का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया तथा आपत्ति अव्यवहारिक एवं विधि के प्रतिकूल होने के कारण अस्वीकार किया जाकर नस्तीबद्ध किया गया तथा सीमांकन की पूर्व तिथि दिनांक 02.07.12 यथावत रखी गई। पटवारी को सूचित किया गया। नियत दिनांक 02.07.12 को हल्का पटवारी खरो चैनमैन खरगापुर द्वारा पुलिस बल थाना खरगापुर की उपस्थिति में आवेदित भूमि का सीमांकन आवेदक / सरहदी कृषक एवं पंचगवों के समक्ष सर्वे सिद्धानुसार, स्थाई चिन्हों के सहारे किया तथा चिन्हित सीमा पर पत्थर गढ़वाये गये तथा सभी को अवगत कराया गया । स्थल पर ही फील्डबुक पी–1 तथा पंचनामा प्रदर्श पी–2 तैया किया जो प्रकरण में पृथक से संलग्न है। प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष न पाये जाने के उपरांत तहसीलदार खरगापुर द्वारा सीमांकन स्वीकार किया गया। मेरे मतानुसार तहसीलदार खरगापुर का यह निर्णय विधिसंगत है। अतः इसमें कोई हस्तक्षेप किये जाने की आवयश्यकता प्रतीत नहीं होता है।

6/ ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि न्यायालय तहसीलदार खरगापुर, जिला—टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 02—07—2012 विधिसंगत है । अतः न्यायालय तहसीलदार खरगापुर, जिला—टीकमगढ़ का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर